भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 946
(जिसका उत्तर सोमवार, 10 फ़रवरी, 2025/21 माघ, 1946(शक) को दिया जाना है)

'आयकर रिटर्न'

946. **श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल:**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों में आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले लोगों की राज्यवार और वर्षवार संख्या कितनी है;

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान ऐसे लोगों की राज्य और वर्षवार संख्या कितनी है जिनकी आय कर रिटर्न में देयता शून्य है;

(ग) क्या देश में आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और सरकार द्वारा उक्त लोगों की संख्या बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

(क) विवरण अनुलग्नक-'क' के रूप में संलग्न है।

(ख) विवरण अनुलग्नक-'ख' के रूप में संलग्न है।

(ग) जी हां, देश में आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि हुई है।

(घ) सरकार द्वारा किए गए उपाय, जिनके कारण आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि हुई है, निम्नानुसार हैं:

- **नया फॉर्म 26एएस -** इस नए फॉर्म में स्रोत पर कर की कटौती या संग्रहण, निर्दिष्ट वित्तीय लेनदेन (एसएफटी), और करों का भुगतान, मांग और रिफंड, लंबित और पूर्ण कार्रवाईयों की सभी जानकारी शामिल है। इसके अलावा, फॉर्म 26एएस में एसएफटी डेटा का विवरण करदाताओं को उनके लेनदेन के बारे में पहले से ही जागरूक करता है और उन्हें अपनी वास्तविक आय का खुलासा करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

- **आयकर रिटर्न का पहले से भरा जाना -** कर अनुपालन को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए, व्यक्तिगत करदाताओं को पहले से भरे हुए आयकर रिटर्न (आईटीआर) उपलब्ध कराए गए हैं। प्री-फाइलिंग के लिए जानकारी के दायरे में वेतन आय, बैंक ब्याज, लाभांश आदि जैसी जानकारी शामिल है।

- **अद्यतित आयकर रिटर्न -** आयकर अधिनियम की धारा 139(8क) करदाता को संबंधित निर्धारण की समाप्ति से दो वर्ष के भीतर कभी भी अपना रिटर्न अद्यतित करने की सुविधा देती है, ताकि वह स्वेच्छा से चूक या गलतियों को स्वीकार करके और जितना देय हो, अतिरिक्त कर का भुगतान करके अद्यतित रिटर्न दाखिल कर सके। इसके अलावा, करदाताओं को अपडेटेड आयकर रिटर्न में अपनी अघोषित या कम रिपोर्ट की गई आय का खुलासा करने की अनुमति देने के लिए ई-सत्यापन योजना शुरू की गई थी।

- **कॉर्पोरेट कर की दर में कमी-** वित्त अधिनियम, 2016 से प्रारंभ करके कॉरपोरेट कर की दरों को धीरे-धीरे कम किया गया है, जबकि कर आधार को बढ़ाने के लिए कॉरपोरेटों को उपलब्ध छूट और प्रोत्साहन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया गया है।

- **व्यक्तिगत आयकर का सरलीकरण-** वित्त अधिनियम, 2020 ने व्यक्तिगत करदाताओं को निर्दिष्ट छूट और प्रोत्साहन का लाभ नहीं उठाने पर निचली स्लैब दरों पर आयकर का भुगतान करने का विकल्प प्रदान करके आयकर रिटर्न दाखिल करना सरल बना दिया है।

- **काला धन अधिनियम -** विदेशों में जमा काले धन के प्रवाह पर अंकुश लगाने के लिए काला धन (अघोषित विदेशी आय और परिसंपत्तियां) तथा कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 (काला धन अधिनियम) लागू किया गया है, इससे आयकर रिटर्न दाखिल करने में स्वैच्छिक अनुपालन में वृद्धि हुई है।

- **बेनामी कानून -** बेनामी संपत्ति को जब्त करने और बेनामीदार तथा लाभार्थी स्वामी के विरुद्ध मुकदमा चलाने के लिए बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 को बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन अधिनियम, 2016 के द्वारा व्यापक रूप से संशोधित किया गया था।

- **<u>टीडीएस/टीसीएस के दायरे का विस्तार</u> -** नए करदाताओं को आयकर विभाग के दायरे में लाने के लिए, टीडीएस/टीसीएस के दायरे का विस्तार किया गया, जिसमें बड़ी मात्रा में नकदी की निकासी, विदेश में धन का प्रेषण, लक्जरी कार की खरीद, ई-कॉमर्स प्रतिभागी, माल की बिक्री, अचल संपत्ति का अधिग्रहण, एलआरएस के तहत धन प्रेषण, विदेशी यात्रा कार्यक्रम पैकेज की खरीद आदि को शामिल किया गया था।

अनुलग्नक-क

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले व्यक्तियों की राज्य-वार और वर्ष-वार संख्या निम्नानुसार है:- [संदर्भ – प्रश्न सं. 946 का भाग (क)]

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का विवरण	वित्त वर्ष 2019-20	वित्त वर्ष 2020-21	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2024-25
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	37,101	41,226	44,901	47,101	51,323	53,180
आंध्र प्रदेश	20,80,288	19,79,366	19,84,319	21,65,161	24,23,186	25,59,092
अरुणाचल प्रदेश	19,642	18,848	18,091	21,581	25,749	27,441
असम	7,76,618	7,68,231	7,73,711	8,16,137	8,96,499	8,99,263
बिहार	17,19,439	18,96,122	20,11,074	21,54,266	24,00,759	25,13,818
चंडीगढ़	2,65,602	2,66,428	2,67,433	2,77,594	2,94,487	3,00,096
दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	52,324	53,219	53,559	55,261	58,907	59,861
दिल्ली	34,83,436	35,34,470	35,33,774	37,06,999	39,76,487	41,06,449
गोवा	2,18,697	2,17,944	2,20,219	2,30,569	2,56,246	2,65,900
गुजरात	64,73,204	69,01,630	71,26,423	74,50,672	80,05,076	82,62,307
हरियाणा	24,74,079	25,83,050	27,24,889	29,45,240	31,58,058	32,03,004
हिमाचल प्रदेश	5,26,311	5,07,118	5,27,596	5,63,171	6,54,928	7,03,861
जम्मू एवं कश्मीर	4,49,249	4,25,456	4,38,770	5,22,517	6,05,126	6,43,197
कर्नाटक	38,18,546	39,25,684	39,80,418	42,58,035	46,74,332	48,96,638
केरल	16,56,177	17,08,859	17,95,967	19,73,551	22,32,740	23,54,782
लक्षद्वीप	4,760	3,916	4,072	4,454	4,439	4,558
मध्य प्रदेश	26,06,358	27,45,469	28,38,182	29,93,536	32,21,154	33,88,103
महाराष्ट्र	1,01,34,529	1,05,05,787	1,08,22,870	1,13,91,610	1,23,80,522	1,27,44,181
मणिपुर	52,135	50,372	53,615	64,661	69,386	72,790
मेघालय	33,961	32,465	34,230	40,248	46,260	47,733
मिजोरम	3,808	4,885	5,866	7,371	8,447	9,845
नागालैंड	20,238	20,476	20,707	25,168	29,039	29,853
ओडिशा	10,98,781	11,47,974	11,96,655	12,90,397	14,47,758	15,11,269
पुदुचेरी	97,026	95,911	95,429	1,01,440	1,10,877	1,14,092
पंजाब	30,73,506	31,05,578	32,84,421	36,09,942	39,45,375	39,64,740
राजस्थान	41,35,462	43,80,416	45,55,909	48,48,031	52,55,986	55,14,304
सिक्किम	14,962	13,325	11,917	13,229	16,211	18,470

तमिलनाडु	41,82,347	42,07,105	43,01,299	45,90,531	50,33,165	52,13,740
त्रिपुरा	82,049	78,510	79,879	87,434	99,300	1,05,656
उत्तर प्रदेश	60,08,980	64,17,665	66,53,883	71,65,746	79,06,893	83,15,205
पश्चिम बंगाल	40,88,477	42,45,242	43,64,849	45,56,394	49,58,079	51,30,458
छत्तीसगढ	10,41,310	10,75,894	11,01,801	11,60,389	12,59,888	13,08,512
उत्तराखंड	7,69,055	7,69,961	7,93,801	8,53,992	9,50,680	10,06,883
झारखंड	10,76,078	11,12,676	11,35,746	11,95,551	13,16,665	13,68,615
तेलंगाना	21,58,703	22,81,927	24,54,797	26,92,185	29,65,650	30,56,867
लद्दाख	-	-	-	-	1,465	1,322
भारत के बाहर	55,256	83,183	1,26,311	1,28,882	1,36,437	1,97,331
कुल	**6,47,88,494**	**6,72,06,388**	**6,94,37,383**	**7,40,09,046**	**8,08,77,579**	**8,39,73,416**

टिप्पणी:-

1. आयकर रिटर्न (आईटीआर) से विशिष्ट वित्तीय वर्ष के लिए यूनीक पैन (स्थायी खाता संख्या) संख्या पर विचार किया गया है।

2. उपर्युक्त सारांश के लिए ई-फाइल किए गए आयकर रिटर्न पर विचार किया गया है। यदि किसी करदाता द्वारा कई ई-रिटर्न जमा किए गए हैं , तो संबंधित वित्तीय वर्ष में नवीनतम रिटर्न को ध्यान में रखा गया है।

3. राज्य का विवरण आयकर रिटर्न के भाग क - सामान्य सूचना के अंतर्गत सम्पर्क पते में लिखे राज्य कोड से लिया जाता है।

4. भारत से बाहर - आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले वे लोग जिन्होंने आईटीआर के भाग क - सामान्य जानकारी के अंतर्गत सम्पर्क पते में राज्य कोड 99 (अर्थात भारत से बाहर का राज्य) का उल्लेख किया है।

5. दिनांक 31 दिसंबर 2024 तक दाखिल किए गए आयकर रिटर्न को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए माना गया है।

अनुलग्नक-ख

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान जिन व्यक्तियों की कर देयता शून्य है उनकी राज्य-वार और वर्ष-वार संख्या निम्नानुसार है:-[संदर्भ – प्रश्न सं. 946 का भाग (ख)]

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का विवरण	वित्त वर्ष 2019-20	वित्त वर्ष 2020-21	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2024-25
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	7,061	24,685	30,374	25,804	25,825	27,828
आंध्र प्रदेश	6,64,299	12,55,518	12,44,688	13,04,819	13,43,528	14,13,529
अरुणाचल प्रदेश	8,249	13,371	13,408	16,014	19,202	20,324
असम	3,25,831	5,59,270	5,72,285	5,80,148	6,18,632	5,95,513
बिहार	8,95,962	15,06,533	15,98,568	16,75,663	18,42,684	18,79,616
चंडीगढ़	1,14,971	1,79,763	1,81,273	1,78,473	1,80,223	1,80,449
दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	24,379	41,142	41,837	41,792	43,879	43,339
दिल्ली	12,32,053	22,58,833	23,13,220	23,18,927	24,27,980	24,25,907
गोवा	85,778	1,45,764	1,48,456	1,46,194	1,57,852	1,61,044
गुजरात	39,27,497	57,67,988	59,26,428	59,91,699	63,79,797	63,56,417
हरियाणा	12,17,358	18,95,827	20,14,013	21,16,161	22,09,412	21,46,525
हिमाचल प्रदेश	2,50,497	3,72,753	3,87,749	4,09,425	4,39,800	4,71,292
जम्मू एवं कश्मीर	1,53,009	2,84,398	3,06,417	3,57,719	3,63,014	3,81,691
कर्नाटक	12,46,799	23,61,785	24,18,829	24,63,232	26,16,153	26,75,258
केरल	5,93,003	11,19,225	12,23,121	10,81,971	13,28,815	14,45,939
लक्षद्वीप	797	2,017	1,612	1,761	1,736	1,931
मध्य प्रदेश	13,44,459	21,47,264	22,09,811	22,94,440	23,83,930	24,51,778
महाराष्ट्र	43,15,546	71,49,773	74,65,307	74,45,222	78,96,182	79,22,403
मणिपुर	18,160	35,045	37,467	46,801	47,582	47,725
मेघालय	14,091	22,934	24,639	29,710	34,207	34,066
मिजोरम	1,736	3,690	3,697	5,823	6,884	8,095
नागालैंड	8,955	15,893	16,820	20,505	23,804	23,488
ओडिशा	4,33,449	8,21,120	8,56,204	8,94,889	9,87,109	9,72,421
पुदुचेरी	34,706	61,092	61,625	60,541	63,427	66,214
पंजाब	16,97,781	25,44,811	27,06,091	28,90,845	30,78,024	30,55,902
राजस्थान	22,78,147	35,48,235	37,04,098	38,11,272	40,30,464	41,04,102
सिक्किम	6,450	9,810	9,171	9,905	12,675	14,648
तमिलनाडु	13,70,012	26,02,003	27,17,912	27,88,014	29,31,369	30,25,493
त्रिपुरा	26,837	52,719	54,233	59,160	66,719	67,413
उत्तर प्रदेश	28,21,363	47,99,837	49,71,322	52,73,478	57,00,860	58,50,144
पश्चिम बंगाल	20,34,435	32,26,294	32,45,689	32,83,160	35,66,232	35,95,515
छत्तीसगढ	4,93,213	8,08,943	8,14,253	8,62,170	9,07,082	9,10,538
उत्तराखंड	3,19,379	5,49,791	5,63,874	5,95,630	6,48,715	6,71,045

झारखंड	4,39,992	7,70,973	7,76,988	8,05,104	8,68,068	8,75,123
तेलंगाना	5,97,781	14,54,606	16,03,945	16,64,019	17,26,452	17,55,876
लद्दाख	-	-	-	-	1,203	1,021
भारत के बाहर	32,199	56,211	2,81,517	64,665	75,894	1,15,779
कुल	**2,90,36,234**	**4,84,69,916**	**5,05,46,941**	**5,16,15,155**	**5,50,55,414**	**5,57,95,391**

टिप्पणी:-

1. आयकर रिटर्न (आईटीआर) से विशिष्ट वित्तीय वर्ष के लिए यूनीक पैन (स्थायी खाता संख्या) संख्या पर विचार किया गया है।

2. उपर्युक्त सारांश के लिए ई-फाइल किए गए आयकर रिटर्न पर विचार किया गया है। यदि किसी करदाता द्वारा कई ई-रिटर्न जमा किए गए हैं , तो संबंधित वित्तीय वर्ष में नवीनतम रिटर्न को ध्यान में रखा गया है।

3. राज्य का विवरण आयकर रिटर्न के भाग क - सामान्य सूचना के अंतर्गत सम्पर्क पते में लिखे राज्य कोड से लिया जाता है।

4. भारत से बाहर - आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले वे लोग जिन्होंने आईटीआर के भाग क - सामान्य जानकारी के अंतर्गत सम्पर्क पते में राज्य कोड 99 (अर्थात भारत से बाहर का राज्य) का उल्लेख किया है।

5. दिनांक 31 दिसंबर 2024 तक दाखिल किए गए आयकर रिटर्न को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए माना गया है।

6. कर देयता निर्धारित करने के लिए आयकर रिटर्न में सकल देय कर कॉलम पर विचार किया गया है।